



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22686

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 58/2026

श्रीमती लोंगश्री

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उप संचालक चकबंदी औरैया, जनपद औरैया एवं 4 अन्य

.....प्रत्यार्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राम सजीवन मिश्रा, सत्यम मिश्रा

प्रत्यार्थीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रत्यार्थी संख्या 3 को निर्देशित किया जाए कि वह चकबंदी अधिकारी, औरैया, जनपद औरैया के न्यायालय में उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की नियमावली 109 के तहत लंबित वाद संख्या शून्य/2022 (प्रार्थना पत्र दिनांक 14-7-2023) श्रीमती लोंगश्री बनाम अच्छेलाल एवं अन्य, जो वाद संख्या 147/152 में दिनांक 26-12-2000 को निर्णित हुआ था, उसे एक निश्चित अवधि के भीतर तय करें।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त वाद को शीघ्रता से तय करने का निर्देश जारी किया जाता है।
4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। प्रत्यार्थी संख्या 3 को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, कानून के अनुसार सख्ती से, एक सकारण और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से उपरोक्त वाद को शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर तय करें।
5. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



वी.के.जी.

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"